

(१९)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 21/प्र0अ0-भवन/जोन-2/2010-11 दिनांक 03/05/2012

अनुमति-एवं

यह अनुमति उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, जिन्होंने यह न समझना चाहिए कि उस न्यूमि के सम्बन्ध में जिस पर लम्बा आवास मानचित्र (अफोडेबुल हाउस) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी राशनीय निकाव या इसका रथानीय अधिकारी वा व्यक्ति अथवा कर्म के नालिकन अधिकारों वर उन्हीं का कोई आसर पड़ेगा। अर्थात् यह अनुमति किसी के भिन्नभिन्न या स्वामित्व के अधिकारों वर विकृत कोई प्राप्त न रखेगी।

श्रीमती वित्ता पाठुजा पल्ली स्व0 नारायण दास, श्री दिलीप कुमार पाठुजा, श्री दिनेश कुमार पाठुजा, श्री चयन कुमार पाठुजा पुत्रगण स्व0 नारायण दास पाठुजा एवं श्री दुर्गा दास, श्री सतराम दास, श्री होतचन्द्र, श्री इश्वर लाल, श्री फूलचन्द्र एवं श्री अनिल कुमार पुत्रगण स्व0 नैनूपल स्थल न्यूल छी होल्ड मूख्यमान संस्था-134, 134ए/1, 134ए/2 एवं 134ए/4 लूकरगंगा इलाहाबाद जौन राज्या (2) के अन्तर्गत नाविल संगठ आवास मानचित्र (अफोडेबुल हाउस) के प्रत्यावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नान्त प्रतिवन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णत प्राप्त गत प्राप्त होने के पश्चात् ही उपरोक्त/अधिरोक्त किया जायेगा। भवन निर्माण एवं टिक्स उपरिवि 2008 में उपरिवि संस्था-21.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्णता प्राप्त गत प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह रवैकृति अन्तिम (Provisional), रवैकृतों के रूप में दी गई निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूरी करने के पश्चात् निर्गत किए जाने वाले 'पूर्णता प्राप्त-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में हाया जा सकेगा।
3. स्वामिल सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त राखा जायेगा।
4. स्थल पर सोलर गाटर हीटोप स्यैन्ट्र भी स्थापना आनिवार्य रूप से जी जायेगी।
5. पूर्णत प्राप्त पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा स्टेटमेंट अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
6. स्थल पर 1X3 फिट का एक बोर्ड रामान्तर स्टीकृति सन्दर्भी विवरण अंकित केय जायेगा।
7. स्थल पर नैनूपल पुराने निर्माण को कुशल इन्जीनियर लौ देवड-रुद्र ने ध्वस्त करया जायेगा तथा यह नुनिश्चित किया जाय कि जन-धन की कोई हानि न होने वाये।
8. स्थल पर नानचित्र में दर्शित प्रस्तुतवाग के अनुसार नार्क का विकास करना होगा तथा वृक्ष इत्यादि लीकात रखे जायें।
9. स्थल पर 64 आवासीय इकाई का निर्माण ही अनुमत्य है। अंतिरिक्त इकाइयों का निर्माण निषिद्ध हाया।
10. आवेदक (शपथकर्ता/शपथकर्ती) द्वारा निर्माण ने प्रयुक्त सान्दी ५व उत्तरित म्लबा को अपने परिसर में ही रखा जायेगा।
11. निर्माण/विकासकर्ता द्वारा सनस्त शास्त्रिक विकास कर्य निर्धारित मानद के अनुसार ही पूर्ण कराकर इविंग्राम से पूर्णता प्राप्त किया जायेगा तथा आन्तरिक विकास व्यय में जो भी धनराशि देव होगी वह निर्माण/विकासकर्ता को बहन करनी होगी।
12. युद्ध अग्नि शमन क्षेत्रों की अनापत्ति दिनांक 30.07.2011 जैसका पृष्ठांकन भू-स्थानी को है ही से अकिल शर्तों का अक्षरण प्रकरण करना होगा तथा निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्राप्त पत्र पर अनित्य अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
13. नार अधिकृत, नगर नियम इलाहाबाद भी अनापत्ति इस प्रतिवन्ध के साथ प्राप्त हुयी है कि भवन निर्माण के समय अवस्थावना दुर्विधाजो जी कोई असु न पहुँचे अन्था उल्क नदगिरी उथला मरम्मत कार्ट शब्द रखाएँ/भू-स्थानी को रखना होगा।

Continued



